[2019] 13 एस.सी.आर. 1044

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड

(2019 की सिविल अपील संख्या 8227)

23 अक्टूबर, 2019

[आर. भानुमति, ए.एस. बोपन्ना और हृषिकेश रॉय, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एसएस.16, 37 - प्रतिवादी द्वारा उठाए गए जवाबी दावे, चाहे मध्यस्थता के संदर्भ के दायरे से परे हों - समझौते दिनांक के तहत। 01.01.07 विमानन ईंधन आपूर्ति के लिए, अपीलकर्ता को प्रतिवादी को विमानन ईंधन की आपूर्ति करनी थी - प्रारंभ में, समझौता 01.01.07 से 31.03.09 की अवधि के लिए था - दूसरा विमानन ईंधन आपूर्ति समझौता दिनांक। 01.04.09 01.04.09 से 31.03.11 तक था - जब अपीलकर्ता ने 01.04.09 से 31.03.11 की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए ईंधन के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का दावा उठाया तो पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ - प्रतिवादी ने कोई भी स्वीकार नहीं किया ब्याज के रूप में देय राशि - अपीलकर्ता नोटिस दिनांक के माध्यम से। 25.03.10 में मध्यस्थता खंड लागू किया गया - पत्र दिनांक के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई। 27.04.10 - अपीलकर्ता ने 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1,95,21,032/- रुपये का दावा किया। दावे की प्रस्तुति की तारीख से भुगतान और/या प्राप्ति तक - दावों को अस्वीकार करते हुए, प्रतिवादी ने दो प्रतिदावे भी उठाए और अपीलकर्ता को समझौते के तहत आपूर्ति किए गए विमानन ईंधन के लिए उसके पक्ष में CENVAT चालान जारी करने का निर्देश देते हुए पुरस्कार की मांग की - अपीलकर्ता भी धारा 16 के तहत दायर आवेदन - मध्यस्थ द्वारा अनुमति - उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा अपील की अनुमति दी - माना गया: केवल इसलिए कि प्रतिवादी ने दिनांकित पत्र में बीपीसीएल के खिलाफ दावों की प्रकृति को निर्दिष्ट नहीं किया था। 27.04.10, सीमा पर CENVAT चालानों के प्रतिदावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है - प्रश्न कि क्या CENVAT चालानों से संबंधित

मुद्दा समझौते की शर्तों के बाहर था या क्या CENVAT चालान समझौते दिनांक से संबंधित हैं। 01.01.07 और 01.04.09; क्या यह मध्यस्थता योग्य है और मध्यस्थता और ऐसे अन्य संबंधित प्रश्नों के संदर्भ के दायरे से परे है, केवल जांच के दौरान निर्धारित किया जाना है - जांच के बाद, मध्यस्थ CENVAT चालान के लिए काउंटर दावे को अस्वीकार कर सकता है क्योंकि यह मध्यस्थता योग्य नहीं है और काउंटर दावा हैमध्यस्थता के संदर्भ के दायरे से परे, लेकिन इस आधार पर कि मध्यस्थ के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, प्रतिदावे को अस्वीकार करना उचित नहीं होगा - उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया - उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई, हालांकि 2004 के नियमों में कथित तौर पर निर्दिष्ट सेनवैट क्रेडिट की उपलब्धता के बारे में पैरा संख्या (10) में दिए गए आदेश में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को मामले की योग्यता पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है - मध्यस्थ को आगे बढ़ना होगा मामला अपनी योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार - सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1.1 खंड 12 आपसी सहमति से नामित मध्यस्थ को विवाद का संदर्भ देने का प्रावधान करता है। यदि पार्टियां आपसी सहमति से मध्यस्थ का निर्णय लेने में विफल रहती हैं, तो प्रत्येक पक्ष अपनी पसंद के मध्यस्थ को नामित करेगा और नामित मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को चुनेंगे। केवल इसलिए कि प्रतिवादी ने दिनांक 27.04.2010 के पत्र में बीपीसीएल के खिलाफ दावों की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की, यह सीमा पर CENVAT चालान के काउंटर दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। क्या CENVAT चालान के संबंध में प्रतिदावा मध्यस्थता समझौते की शर्तों से बाहर है और क्या यह मध्यस्थता योग्य है या मध्यस्थता के संदर्भ के दायरे से बाहर है, यह विद्वान मध्यस्थ द्वारा पूछताछ के बाद ही देखा जा सकता है। [पैरा 19]

1.2 सवाल यह है कि क्या सेनवेट चालान से संबंधित मुद्दा समझौते की शर्तों से बाहर था या क्या सेनवेट चालान दिनांक 01.01.2007 और 01.04.2009 के समझौते से संबंधित है और क्या यह मध्यस्थता योग्य है और क्या यह इससे परे है मध्यस्थता और ऐसे अन्य संबंधित प्रश्नों के संदर्भ का दायरा, जांच के दौरान ही निर्धारित किया जाना है। ऐसा हो

सकता है कि जांच के बाद, मध्यस्थ CENVAT चालान के लिए प्रतिदावे को मध्यस्थ न होने के कारण अस्वीकार कर सकता है और प्रतिदावा मध्यस्थता के संदर्भ के दायरे से परे हो सकता है। लेकिन प्रतिदावे को इस आधार पर खारिज करना कि मध्यस्थ के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उचित नहीं होगा। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने विद्वान मध्यस्थ के दिनांक 18.04.2011 के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है। पार्टियों ने अन्य बातों के अलावा विभिन्न तर्क उठाए हैं। मैं इस समय उन विवादों पर विचार करने को इच्छुक नहीं हूंअवस्था। ऐसा न हो कि, ऐसे विवादों पर कोई भी राय व्यक्त करने से मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही या पार्टियों द्वारा शुरू की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही में पार्टियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परिणामस्वरूप, 2011 की मध्यस्थता अपील (लॉजिंग) संख्या 14228 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 07.12.2011 के आक्षेपित फैसले की पुष्टि की जाती है। सेनवैट नियम, 2004 में कथित रूप से निर्दिष्ट सेनवैट क्रेडिट की उपलब्धता के संबंध में पैरा संख्या (10) में दिए गए आदेश में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को मामले की योग्यता पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। विद्वान मध्यस्थ मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार आगे बढ़ाएगा। [पैरा 23-25]

गोवा राज्य बनाम प्रवीण एंटरप्राइजेज **(2012) 12 एससीसी 581: [2011] 10 एससीआर 1026 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

[2011] 10 एससीआर 1026 पैरा 21 का उल्लेख किया गया है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8227 2019।

2011 की मध्यस्थता अपील (लॉजिंग) संख्या 14228 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश 07.12.2011 से।

एस. गुरु कृष्णकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, पारिजात सिन्हा, सुश्री रेशमी रिया सिन्हा, एस. सी. घोष, रुद्र दत्ता, अरिंदम घोष, अधिवक्ता। अपीलकर्ता के लिए.

रितिन राय, वरिष्ठ वकील, देबमाल्या बनर्जी, ए.एस. अमन, कार्तिक भटनागर, मनीष शर्मा, वरदान वांचू, उज्जवल सिंह, एम/एस। करंजावाला एंड कंपनी, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

आर. भानुमति, जे.

1. छुट्टी स्वीकृत.

2. यह अपील 2011 की मध्यस्थता अपील (लॉजिंग) संख्या 14228 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.12.2011 के फैसले से उत्पन्न हुई है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-गो एयरलाइंस द्वारा दायर अपील को रोककर अनुमति दी थी। मध्यस्थ के पास CENVAT क्रेडिट से संबंधित प्रतिदावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, जिससे मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है

3. संक्षिप्त तथ्य जिनके कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैं:

पक्षों के बीच दिनांक 01.01.2007 को विमानन ईंधन आपूर्ति के लिए एक समझौता किया गया था, जिसके तहत अपीलकर्ता-भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को प्रतिवादी-गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड को विमानन ईंधन की आपूर्ति और बिक्री करनी थी। प्रारंभ में, यह समझौता 01.01.2007 से 31.03.2009 की अवधि के लिए किया गया था। दूसरे समझौते दिनांक 01.04.2009 के आधार पर, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच 01.04.2009 से 31.03.2011 की अवधि के लिए एक और विमानन ईंधन आपूर्ति समझौता किया गया। 06.07.2009 को, अपीलकर्ता ने बयान के साथ प्रतिवादी को चालान का विवरण देते हुए पत्र जारी किया और अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया कि बकाया राशि का भुगतान और साथ ही 1.45 करोड़ रुपये की ब्याज राशि तुरंत जारी की जाए। उक्त पत्र के उत्तर में, प्रतिवादी ने अपने ई-मेल दिनांक 06.07.2009 द्वारा अन्य बातों के साथ कहा कि बकाया ब्याज 1.41 करोड़ रुपये था, न कि 1.45 करोड़ रुपये, जैसा कि दिनांक 06.07.2009 के उक्त पत्र में उल्लिखित है। चूंकि भुगतान नहीं किया गया था, अपीलकर्ता-बीपीसीएल ने ईंधन की आपूर्ति के

लिए भुगतान करने में चूक और विलंबित भुगतान पर ब्याज के कारण प्रतिवादी एयरलाइंस को "कैश एंड कैरी" शर्तों पर डाल दिया।

4. जब अपीलकर्ता ने 01.04.2009 से 31.03.2011 की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए ईंधन के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का दावा उठाया तो पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी ने ब्याज के रूप में देय कोई भी राशि स्वीकार नहीं की। चूंकि देयता और विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के संबंध में विवाद को पार्टियों के बीच आपसी पत्राचार के माध्यम से हल नहीं किया जा सका, अपीलकर्ता ने अपने नोटिस दिनांक 25.03.2010 के माध्यम से मध्यस्थता खंड यानी समझौते के खंड संख्या 12 दिनांक 01.01.2007 को लागू किया। एकमात्र मध्यस्थ के रूप में श्रीमती न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुजाता मनोहर के नाम का सुझाव। प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 27.04.2010 के माध्यम से विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने पर सहमति व्यक्त की और श्रीमती न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुजाता मनोहर को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया। उक्त पत्र में, प्रतिवादी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि विद्वान मध्यस्थ अपीलकर्ता-बीपीसीएल के खिलाफ प्रतिवादी के विभिन्न दावों पर विचार करते हुए मुद्दों पर उचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अपीलकर्ता ने कुल 1,95,21,032/- रुपये की राशि के लिए दावा प्रस्तुत करने की तारीख से भुगतान और/या वसूली तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दावा किया।

5. प्रतिवादी ने अपीलकर्ता द्वारा किए गए दावों को नकारते हुए अपना बचाव बयान दायर किया और उसने मध्यस्थ के समक्ष दो प्रतिदावे भी उठाए, जिसमें अपीलकर्ता को CENVAT जारी करने का निर्देश देने के लिए एक पुरस्कार की मांग की गई।समझौते के तहत आपूर्ति किए गए विमानन ईंधन के संबंध में प्रतिवादी के पक्ष में चालान; विकल्प में 11,60,44,466/- रुपये की राशि और 4,31,45,967/- रुपये ब्याज के साथ-साथ 15% प्रति की दर से गणना की गई मूल राशि पर अतिरिक्त ब्याज देने की प्रार्थना की। वार्षिक भुगतान दिनांक 01.10.2009 से भुगतान तक। अपने दूसरे दावे में, प्रतिवादी ने 04.07.2009 से अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से "नकद और क्रेडिट" शर्तों को लागू करने के लिए मुआवजे की मांग की, जब अपीलकर्ता ने "नकद और क्रेडिट" शर्तों को छोड़कर प्रतिवादी को विमानन ईंधन की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया।

6. अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के दावे को नकारते हुए प्रतिवादी के प्रतिदावे पर अपना जवाब दाखिल किया और अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिदावा मध्यस्थ के दायरे और अधिकार क्षेत्र से परे था। यह कहा गया था कि मध्यस्थता शुरू होने से पहले CENVAT चालान की आपूर्ति करने के कथित दायित्व के संबंध में पार्टियों के बीच कोई विवाद मौजूद नहीं था क्योंकि प्रतिवादी-गो एयरलाइंस द्वारा कभी इसकी मांग नहीं की गई थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने पहली बार 05.05.2010 को अपने पत्र द्वारा यानी वर्तमान मध्यस्थता के शुरू होने के बाद वर्ष 2005 के बाद से की गई आपूर्ति के लिए अपीलकर्ता से सेनवैट चालान की मांग की थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने उक्त समझौते के अस्तित्व के दौरान कभी भी CENVAT चालान नहीं मांगे और प्रतिवादी द्वारा उठाया गया प्रतिदावा बाद में सोचा गया था।

7. अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 16 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिदावा मध्यस्थ के दायरे और अधिकार क्षेत्र से परे था और प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से CENVAT चालान की मांग की थी। वर्ष 2005 के बाद से की गई आपूर्ति के लिए पहली बार केवल पत्र दिनांक 05.05.2010 द्वारा अर्थात मध्यस्थता शुरू होने के बाद। प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 16 के तहत दायर उक्त आवेदन पर अपना जवाब दायर किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिदावा मध्यस्थ के दायरे और अधिकार क्षेत्र के भीतर था।

8. विद्वान मध्यस्थ ने दिनांक 18.04.2011 के आदेश के तहत अधिनियम की धारा 16 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए अनुमति दी कि सेनवैट चालान से संबंधित प्रति दावा मध्यस्थ के दायरे और अधिकार क्षेत्र से परे है और काउंटर के उस हिस्से को खारिज कर दिया। दावा करना। जहाँ तक प्रतिवादी के प्रार्थना करने के प्रतिदावे का प्रश्न है"नकद और क्रेडिट" के कथित अधिरोपण के लिए क्षतिपूर्ति के लिए, विद्वान मध्यस्थ ने माना कि यह मध्यस्थ के समक्ष विचारणीय है।

9. मध्यस्थ के दिनांक 18.04.2011 के आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 37 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने

दिनांक 07.02.2011 के आक्षेपित फैसले के तहत प्रतिवादी द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया और मध्यस्थ के दिनांक 18.04.2011 के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मध्यस्थ के पास गैर-प्रस्तुति से संबंधित प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिदावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। CENVAT क्रेडिट के लिए चालान की. जहां तक मध्यस्थ की टिप्पणियों का सवाल है, उच्च न्यायालय ने माना कि विद्वान मध्यस्थ को पार्टियों द्वारा अपना मामला सामने रखने के बाद गुण-दोष के आधार पर प्रतिदावे को खारिज करने का अधिकार हो सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते के मद्देनजर सीमा पर प्रतिदावे की अस्वीकृति उचित नहीं थी। व्यथित होकर, अपीलकर्ता-बीपीसीएल ने यह अपील दायर की है।

10. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. गुरु कृष्णकुमार ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 01.01.2007 के समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुसार, मध्यस्थ समझौते और काउंटर के नियमों और शर्तों से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा कर सकता है। मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी द्वारा उठाया गया दावा उस अनुबंध/समझौते के नियमों और शर्तों से उत्पन्न नहीं होता है जिसके तहत मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 16 के तहत, मध्यस्थ ऐसे प्रतिदावे को दाखिल करने के समय भी इस आधार पर उक्त प्रतिदावे पर विचार करने से इनकार कर सकता है कि यह अधिकार क्षेत्र से परे है और विद्वान मध्यस्थ द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है। यह एक संभावित दृष्टिकोण है और उच्च न्यायालय को मध्यस्थ द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के स्थान पर अपना दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि घरेलू हवाई यात्रा पर सेवा कर लगाने की शुरुआत वित्त अधिनियम, 2010 (01.04.2010 से) और इकोनॉमी क्लास पर 01.07.2010 से की गई थी और किसी भी स्थिति में, CENVAT क्रेडिट जारी करने की आवश्यकता थी। चालान 01.04.2010 के बाद ही उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार, उक्त अनुबंध के खंड 7(ii) के तहत उक्त प्रतिदावे पर विचार नहीं किया जा सकता है जो 31.03.2009 को समाप्त हो गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि चूंकि प्रतिवादी 01.04.2010 से पहले घरेलू हवाई यात्रा पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, इसलिए CENVAT क्रेडिट चालान जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले किसी भी समय, प्रतिवादी ने दावा नहीं कियाCENVAT

चालान प्रस्तुत करने और विद्वान मध्यस्थ ने सही ढंग से माना कि प्रतिदावा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विशिष्ट संदर्भ से परे है और उच्च न्यायालय ने विद्वान मध्यस्थ के निष्कर्षों के साथ अपने दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने में गलती की, जो तय स्थिति का उल्लंघन है।

11. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रितिन राय ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा सेनवैट चालान जारी करने के संबंध में प्रतिवादी द्वारा उठाया गया प्रतिदावा दिनांक 01.01.2007 और दूसरे समझौते की शर्तों के अंतर्गत आता है। विमानन ईंधन की आपूर्ति के लिए अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच दिनांक 01.04.2009 को समझौता हुआ। समझौते की धाराओं के बारे में बताते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 01.01.2007 के समझौते के खंड 7 (ii) के अनुसार, अपीलकर्ता-बीपीसीएल करों सहित प्रतिवादी-कंपनी को चालान प्रदान करने के लिए बाध्य था। विमानन ईंधन की आपूर्ति की तारीख पर लागू शुल्क। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए भी, हालांकि स्वीकार नहीं करते हुए, कि CENVAT चालान जारी करने की ऐसी देनदारी सीधे तौर पर दिनांक 01.01.2007 के समझौते के खंड 7 (ii) से उत्पन्न नहीं होती है, व्यवसाय प्रभावकारिता को देखते हुए, वही है इसे "अनुबंध की निहित शर्त" के रूप में माना जाएगा और अपीलकर्ता-कंपनी लागू सभी करों और कर्तव्यों से संबंधित CENVAT चालान जारी करने के कर्तव्य के तहत थी।

12. प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि यह प्रश्न तथ्य का प्रश्न है कि प्रतिवादी-कंपनी द्वारा उठाया गया प्रतिदावा पार्टियों के बीच हुए समझौते के दायरे में आता है या संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत आता है या नहीं। इसका निर्णय विद्वान मध्यस्थ द्वारा उचित जांच के बाद किया जा सकता है और विद्वान मध्यस्थ उस सीमा पर प्रतिदावे को खारिज करने में सही नहीं था जो कानून की निर्धारित स्थिति के अनुसार नहीं है।

13. हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का अवलोकन किया है। विचार के लिए आने वाले बिंदु यह हैं कि क्या CENVAT चालान के संबंध में प्रतिदावा मध्यस्थता के संदर्भ के दायरे से बाहर था और क्या उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि विद्वान मध्यस्थ के पास प्रतिवादी द्वारा उठाए गए CENVAT चालान के संबंध में प्रतिदावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था।

14. प्रासंगिक तथ्य विवाद में नहीं हैं। माना जाता है कि, विमानन ईंधन आपूर्ति समझौता दिनांक 01.01.2007 (01.01.2007 से 31.03.2008 की अवधि के लिए) और एक अन्य ईंधन आपूर्ति समझौता दिनांक 01.04.2009 है।(01.04.2009 से 31.03.2011 तक की अवधि के लिए)। भुगतान और विलंबित भुगतान पर देय ब्याज को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। अपीलकर्ता ने दिनांक 25.03.2010 को नोटिस भेजकर मध्यस्थ श्रीमती न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर की नियुक्ति का सुझाव दिया। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के सुझाव को स्वीकार करते हुए दिनांक 27.04.2010 को जवाब भेजा और दर्ज किया कि "... हमें यकीन है कि वह बीपीसीएल के खिलाफ हमारे विभिन्न दावों पर विचार करते हुए मुद्दों पर उचित निर्णय लेने में सक्षम होगी"। प्रतिवादी के अनुसार, उन्होंने एकल मध्यस्थ के नामांकन को इस शर्त पर स्वीकार किया है कि मध्यस्थ अपीलकर्ता के खिलाफ उसके प्रतिदावे पर भी फैसला देगा। प्रतिवादी के अनुसार, अपने उत्तर दिनांक 27.04.2010 में, उन्होंने प्रतिदावा करने का आधार रखा है, हालांकि उन्होंने विशेष रूप से सेनवैट चालान के बारे में नहीं बताया है। एक बार दावा किए जाने के बाद, प्रतिवादी को प्रतिदावा करने का अधिकार है। प्रतिवादी CENVAT चालान के प्रतिदावे में समझौते के खंड 7(ii) पर निर्भर करता है। क्या प्रतिदावा संदर्भ का हिस्सा है या नहीं और क्या यह मध्यस्थता योग्य है और क्या विवाद संविदात्मक अधिकारों या दायित्वों से संबंधित है या पूरी तरह से अनुबंध से बाहर है, यह मध्यस्थ द्वारा जांच के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है।

15. प्रतिवादी का तर्क यह है कि समझौते के खंड 7 (ii) के अनुसार, अपीलकर्ता को समझौते के तहत विमानन ईंधन की आपूर्ति के अनुसार CENVAT चालान जारी करने की आवश्यकता थी और अपीलकर्ता ने ऐसा नहीं किया और इसलिए, CENVAT चालान जारी किए गए और समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों से संबंधित पार्टियों के बीच विवाद और परिणामस्वरूप, ट्रिब्यूनल के पास उस पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

16. समझौते के खंड 7(ii) में अपीलकर्ता द्वारा कर चालान जारी करने की आवश्यकता है। समझौते का खंड 7 इस प्रकार है:

“7. चालान और भुगतान की शर्तें:

i. मैं विक्रेता ईंधन डिलीवरी (जेट ए-1) के लिए क्रेता का चालान करेगा;

ii. डिलीवरी टिकट के साथ डिलीवरी की तारीख, स्थान, विमान पंजीकरण संख्या, ग्रेड, ईंधन की मात्रा, इकाई मूल्य, कर और शुल्क (डिलीवरी की तारीख पर लागू) वाले भारतीय रुपये में चालान क्रेता के स्थानीय कार्यालय/नामित को प्रस्तुत किए जाएंगे। पूर्ण भुगतान/फैक्टरिंग के लिए बैंक। फैक्टरिंग और बीमा की लागत गो एयर द्वारा वहन की जाएगी।

iii. विक्रेता क्रेता को निम्नलिखित आवधिकता के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों/पते पर चालान भेजेगा:

बिलिंग अवधि	बैंक द्वारा बीपीसी खाते में जमा की तिथि
1 से 7वें	16वें
8वें से 15वें	23वें
16वें से 23वें	30वें/31वें
24वें से महीने के अंत	तक 8 वें (अगले महीने)

यदि उपरोक्त तिथियां सप्ताहांत या छुट्टियां हैं तो भुगतान अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा।

iv. देय तिथि से परे भुगतान में किसी भी देरी के मामले में, बकाया राशि पर पीएलआर प्लस 2% ब्याज लगेगा।

v. यदि बैंक की सीमा अवरुद्ध हो जाती है, तो भुगतान सीधे गो एयर द्वारा नियत तिथियों तक किया जाएगा।

vi. . यदि फैक्टरिंग सीमा अवरुद्ध रहती है, तो एक्सपोज़र को पर्याप्त बीजी के साथ कवर करने की आवश्यकता होगी, जिसके अभाव में छूट व्यवस्था और भुगतान शर्तों की समीक्षा करने में बाधा उत्पन्न होगी।

17. प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क यह है कि समझौते के खंड 7 (ii) में डिलीवरी की तारीख पर उपलब्ध करों और कर्तव्यों के चालान के साथ-साथ चालान जारी करने की आवश्यकता होती है। प्रतिवादी के अनुसार, CENVAT चालान जारी करने का अनुरोध मौखिक अनुरोध/मांगों की प्रकृति में था जो चर्चा के दौरान प्रतिवादी के प्रतिनिधि द्वारा किया गया था और ऐसे अनुरोधों के बावजूद, CENVAT चालान जारी नहीं किए गए थे और इसलिए, एक समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों से संबंधित पक्षों के बीच "विवाद"।

18. अपीलकर्ता का मामला यह है कि CENVAT क्रेडिट के संबंध में प्रतिदावा मध्यस्थता के संदर्भ के दायरे से परे है और स्पष्ट रूप से समझौते के नियमों और शर्तों के तहत कवर नहीं किया गया है और न ही दिनांक 01.01.2007 के समझौते के तहत निहित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिनांक 25.03.2010 के उक्त नोटिस के जवाब में, प्रतिवादी ने 27.04.2010 को मध्यस्थ को स्वीकार करते हुए उत्तर भेजा और कहा कि मध्यस्थ बीपीसीएल के खिलाफ प्रतिवादी के विभिन्न दावों पर फैसला करने में सक्षम होगा। उक्त उत्तर में, प्रतिवादी ने विशेष रूप से सेनवैट चालान की दलील नहीं उठाई है।

19. दिनांक 01.01.2007 के समझौते का खंड 12 मध्यस्थता खंड से संबंधित है। खंड 12 आपसी सहमति से नामित मध्यस्थ को विवाद का संदर्भ देने का प्रावधान करता है। यदि पार्टियां आपसी सहमति से मध्यस्थ का निर्णय लेने में विफल रहती हैं, तो प्रत्येक पक्ष अपनी पसंद के मध्यस्थ को नामित करेगा और नामित मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को चुनेंगे। जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही तर्क दिया था, अपीलकर्ता द्वारा जारी दिनांक 25.03.2010 के नोटिस के जवाब में, जिसमें श्रीमती न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था, प्रतिवादी ने आशा व्यक्त करते हुए इसे स्वीकार कर लिया कि "वह होंगी" बीपीसीएल के खिलाफ हमारे दावों पर विचार करते हुए मुद्दों पर उचित निर्णय लेने में सक्षम"। केवल इसलिए कि प्रतिवादी ने दिनांक 27.04.2010 के पत्र में बीपीसीएल के खिलाफ दावों की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की, यह सीमा पर CENVAT चालान के काउंटर दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। क्या CENVAT चालान के संबंध में प्रतिदावा मध्यस्थता समझौते की शर्तों से बाहर है और क्या यह मध्यस्थता योग्य है या मध्यस्थता के संदर्भ के दायरे से बाहर है, यह विद्वान मध्यस्थ द्वारा पूछताछ के बाद ही देखा जा सकता है।

20. प्रासंगिक सामग्रियों के माध्यम से हमें बताते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने ईमानदारी से प्रस्तुतियाँ दीं कि 05.05.2010 से पहले, प्रतिवादी ने CENVAT चालान का कोई दावा नहीं किया था और केवल 05.05.2010 को पहली बार यानी कि शुरुआत के बाद किया था। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी ने दावेदार से CENVAT चालान जारी करने का आह्वान किया। अपीलकर्ता के अनुसार, समझौते की शर्तों के अनुसार, अपीलकर्ता प्रतिवादी को CENVAT चालान जारी करने के लिए बाध्य नहीं था और घरेलू हवाई यात्रा पर सेवा कर

लगाना केवल वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा लागू हुआ और इसलिए, विद्वान मध्यस्थ ने ठीक ही माना है कि प्रतिदावा विशिष्ट संदर्भ से परे है और मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा।

21. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि जब मध्यस्थ का क्षेत्राधिकार विशिष्ट संदर्भ द्वारा सीमित होता है, तो मध्यस्थ केवल उन विशिष्ट विवादों का निर्णय कर सकता है। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने गोवा राज्य बनाम प्रवीण एंटरप्राइजेज (2012) 12 एससीसी 581 पर भरोसा जताया, जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया था:

> "11. मध्यस्थता का संदर्भ पार्टियों के बीच के सभी विवादों या किसी अनुबंध से संबंधित सभी विवादों या विशिष्ट प्रगणित विवादों के संबंध में हो सकता है। जहां "सभी विवादों" को संदर्भित किया जाता है, मध्यस्थ के पास उठाए गए सभी विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होता हैदलीलें (दावे और प्रतिदावे दोनों) मध्यस्थता समझौते द्वारा रखी गई किसी भी सीमा के अधीन हैं। जहां मध्यस्थता समझौते में प्रावधान है कि सभी विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा लेकिन कुछ मामलों को मध्यस्थता से बाहर रखा जाएगा, तो मध्यस्थ अपवादित मामले को बाहर कर देगा और केवल उन विवादों का फैसला करेगा जो मध्यस्थता योग्य हैं। लेकिन जहां मध्यस्थ का संदर्भ पार्टियों/अदालत/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गिनाए गए विशिष्ट विवादों को तय करना है, मध्यस्थ का क्षेत्राधिकार विशिष्ट संदर्भ द्वारा सीमित है और मध्यस्थ केवल उन विशिष्ट विवादों का निर्णय कर सकता है।

22. प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि समझौते के खंड 7(ii) में प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए चालान में अन्य बातों के साथ-साथ कर और शुल्क शामिल होना आवश्यक है और अपीलकर्ता ने इसे अस्वीकार कर दिया है और इसलिए, बीच में विवाद है समझौते से संबंधित पक्षों और विद्वान मध्यस्थ को यह कहकर प्रतिदावा को सीमा पर खारिज नहीं करना चाहिए था कि प्रतिदावा मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस संबंध में, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रवीण एंटरप्राइजेज पर भी भरोसा जताया, जिसमें इसे निम्नानुसार रखा गया था:

> **27**. इसी तरह, धारा 23 को धारा 2(9) के साथ पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक प्रतिवादी जवाबी कार्रवाई करने का हकदार है। दावा करें "जब तक कि पार्टियां अन्यथा सहमत न हों" और प्रतिदावे में जोड़ें या संशोधन भी करें, "जब तक अन्यथा

सहमत न हों"। संक्षेप में, जब तक मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थ को केवल विशेष रूप से संदर्भित विवादों पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तब तक प्रतिवादी जवाबी दावे दायर कर सकता है और उसमें संशोधन या जोड़ सकता है, सिवाय इसके कि जहां मध्यस्थता समझौता केवल उन विवादों तक मध्यस्थता को प्रतिबंधित करता है जिन्हें विशेष रूप से मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है। , दावेदार और प्रतिवादी दोनों कोई भी दावा या प्रतिदावा करने के हकदार हैं और आगे ऐसे दावों और प्रतिदावों को जोड़ने या संशोधित करने के भी हकदार हैं, बशर्ते वे मध्यस्थता योग्य और सीमा के भीतर हों।

.....

29. जहां मध्यस्थता समझौते के लिए विवादों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मध्यस्थता के लिए तैयार करने और संदर्भित करने की आवश्यकता होती है, और नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा करने में विफल रहता है, मुख्य न्यायाधीश या उनके पदनाम नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यकतानुसार संदर्भ के लिए विवादों को तैयार करने का निर्देश देंगे। मध्यस्थता समझौता. नीचे दी गई अदालतों की यह धारणा कि अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा मध्यस्थ को विशिष्ट विवादों का संदर्भ देना आवश्यक है, बिना किसी आधार के है। यह धारणा भी उतनी ही निराधार है कि जहां एक पक्ष ने धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर किया है और एक मध्यस्थ नियुक्त किया है तो मध्यस्थ केवल अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदक द्वारा उठाए गए विवादों का फैसला कर सकता है, न कि प्रतिवादी के प्रतिदावों का।

23. यह प्रश्न कि क्या CENVAT चालान से संबंधित मुद्दा समझौते की शर्तों से बाहर था या क्या CENVAT चालान दिनांक 01.01.2007 और 01.04.2009 के समझौते से संबंधित है और क्या यह मध्यस्थता योग्य है और क्या यह मध्यस्थता के संदर्भ के दायरे से बाहर है और ऐसे अन्य संबंधित प्रश्न, जांच के दौरान ही निर्धारित किए जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि जांच के बाद, मध्यस्थ CENVAT चालान के लिए प्रतिदावे को मध्यस्थ न होने के कारण अस्वीकार कर सकता है और प्रतिदावा मध्यस्थता के संदर्भ के दायरे से परे हो सकता है। लेकिन प्रतिदावे को इस आधार पर खारिज करना कि मध्यस्थ के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं

है, उचित नहीं होगा। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने विद्वान मध्यस्थ के दिनांक 18.04.2011 के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है।

24. पार्टियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने अन्य बातों के अलावा विभिन्न तर्क उठाए हैं। हम इस स्तर पर उन विवादों पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसा न हो कि, ऐसे विवादों पर कोई भी राय व्यक्त करने से मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही या पार्टियों द्वारा शुरू की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही में पार्टियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

25. परिणामस्वरूप, 2011 की मध्यस्थता अपील (लॉजिंग) संख्या 14228 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 07.12.2011 के आक्षेपित फैसले की पुष्टि की जाती है और यह अपील खारिज कर दी जाती है। सेनवैट नियम, 2004 में कथित रूप से निर्दिष्ट सेनवैट क्रेडिट की उपलब्धता के संबंध में पैरा संख्या (10) में दिए गए आदेश में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को मामले की योग्यता पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। विद्वान मध्यस्थ मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार आगे बढ़ाएगा। कोई लागत नहीं.

दिव्या पांडे. अपील खारिज.

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।